

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर

क्रमांक:जिशिअ/मु./माशि/सी/स्टोर/नीलामी/2019-20/

दिनांक:-

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,  
राउमावि/रामावि/(छात्र/छात्रा) जिला सीकर

विषय-भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2018-19 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी  
अप्रचलित/अनुपयोगी सामान के निस्तारण बाबत ।

प्रसंग-निदेशालय बीकानेर के पत्रांक शिविरि/माध्य/लेखा/डी-2/28001/19-20 दिनांक19.6.19

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेशक महोदय के निर्देशानुसार विधालय के स्थायी  
भण्डार पंजिका में उपलब्ध सामग्री का सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के पार्ट-11 के नियम 12,13 में दी गई  
निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार भण्डार में उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से  
निर्धारित कमेटी के माध्यम से किया जावे एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट बनाई जाकर इस कार्यालय को 20.9.  
19 तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जानी सुनिश्चित करे ।

भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेशी/अनुपयोगी/अचप्रलित सामान का निस्तारण सामान्य  
वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट 11 के नियम 16 से 21 एवं 22 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार  
करने की कार्यवाही करे। नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु शक्तिया सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों पार्ट  
11 के आईटम सं0 35 से 37 के अनुसार होगी । नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु नियमानुसार कमेटी गठन  
कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर इस कार्यालय को 31.7.19 तक भिजवाई जावे ।

इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर  
अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण किया जाना है । अतः नियमानुसार सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भिजवाया जाना  
सुनिश्चित करे ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा,सीकर  
दिनांक:-

क्रमांक:जिशिअ/मु./माशि/सी/स्टोर/नीलामी/2019-20/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1- वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

2 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चुरू संभाग चुरू

3-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर

4-समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी जिला सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से भी  
अधिनस्त विधालयों को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं नकारा सामान के निस्तारण हेतु सर्वे रिपोर्ट भिजवाने  
हेतु निर्देशित करावे ।

5-रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा,सीकर

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर**

**कार्यालय-आदेश**

निम्नांकित विधालयों से प्राप्त परिमापक (सर्वे रिपोर्ट) के आधार पर विधालय के नाकारा/बेकार सामान को खारिज/नीलाम करने हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती हैं। नीलामी कमेटी राज. वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत सामान खारिज/नीलाम कर अपनी पूर्ण कार्यवाही रिपोर्ट (सर्वे रिपोर्ट, चालान/जीएसटी वैट चालान सहित) नीलामी पश्चात् तीन दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि नीलाम किए गये सामान को खारिज करने की स्वीकृति जारी की जा सके एवं राजस्व प्राप्ति की सूचना निदेशालय को भिजवाई जा सके। सम्बन्धित संस्था प्रधान निर्धारित तिथि तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें। अनुपयोगी सासमान की राशि 50000/(पचास हजार) तक होने पर 7 दिन पूर्व स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जावे एवं 50000/(पचास हजार) से अधिक होने पर 10 दिवस पूर्व स्थानीय समाचार पत्र में नीलामी की सूचना आवश्यक रूप से प्रकाशित करावे। नीलामी तिथि को संस्था प्रधान स्वयं तथा कमेटी के लगाये गये सदस्य व लेखाकर्मी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

सम्बन्धित विधालय के संस्था प्रधान सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्य नीचे अंकितानुसार विधालय के नाम के सम्मुख अंकित हैं। अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्त राशि राजस्व प्राप्ति एवं जीएसटी से प्राप्त राशि को सम्बन्धित विधालय के द्वारा जीएसटी पंजीयन करवाया जाकर निम्नांकित शीर्ष में ही जमा कराई जावे :-

क्र. सं.	नाम विधालय	सामान की राशि	प्रस्तावित दिनांक	अन्य संस्था का प्रतिनिधि	लेखा सदस्य
0202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, 1- सामान्य शिक्षा, 102-अन्य प्राप्तियां, (50)-अनुपयोगी सामान / वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां, (02)-अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियां, एवं जीएसटी के रूप में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत (0005)-सीजीएसटी में और 50 प्रतिशत (0006) -एसजीएसटी में जमा करावें।					
1	राउमावि धरसूमाधोपुरा ल0	40902.25	13.7.19 (10बजे)	1-निकटतम विधालय के संस्थाप्रधान 2-कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा मनोनित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	कार्या. के सहायक लेखाधिकारी-1
2	राउमावि अलखपुरा गोदारान ल0	23094.00	13.7.19 (02बजे)		
3	रामावि, सिहोटछोटी	30765.00	16.7.19 (10बजे)		
4	रामावि सेवा	50189.00	16.7.19 (2 बजे)		
5	राउमावि मंगलूणा	48979.73	17.7.19		
6	राबामावि पिपराली	20450.00	19.7.19		
7	राउमावि नबीपुरा	71687.00	20.7.19 (10बजे)		
8	राउमावि नेवटिया फतेहपुर	40486.50	20.7.19 (2 बजे)		
9	राउमावि केरपुरा ख0	41085.69	23.7.19		
10	राउमावि चूडिमियान	44406.00	24.7.19		
11	राउमावि पेवा	42220.42	26.7.19		
12	राउमावि रोसावा	51510.00	27.7.19 (10बजे)		
13	राउमावि कारंगाछोटा	43318.00	27.7.19 (2 बजे)		
14	राउमावि रींगस	478277.58	30.7.19		
15	राउमावि दांता	259016.06	31.7.19 (10बजे)		
16	राबाउमावि दांतारामगढ	28792.00	31.7.19 (2 बजे)		

17	रामावि श्रीमाधोपुर	77796.25	2.8.19 (10बजे)		
18	रामावि पृथ्वीपुरा	43232.00	2.8.19 (2 बजे)		
19	राउमावि श्रीमाधोपुर	258524.16	3.8.19		
20	राउमावि पचार	55259.75	6.8.19		
21	रामावि मंगरासी	52911.50	7.8.19		
22	राउमावि रहनावामाधोपुरा	86417.35	9.8.19		
23	राउमावि कोछोर	101196.65	10.8.19		
24	राउमावि प्रितमपुरी	74685.00	13.8.19		
25	राउमावि गुहाला	134414.02	14.8.19		
26	राउमावि तपीपल्या	67081.00	16.8.19		
27	राउमावि जिलो	190255.00	17.8.19		
28	रामाविआंभावालाजोहडा	23849.00	19.8.19		
29	राउमावि डूडवा	79377.85	20.8.19		
30	राउमावि कोटडीलुहारवास	217356.40	21.8.19		
31	राबाउमावि होद ख0	70366.50	23.8.19		
32	राउमावि कोटडा नीम0	84244.00	27.8.19		
33	राउमावि अजीतगढ	98567.14	28.8.19		
34	रामावि ढाणीबहादुरसिंह	61266.62	30.8.19		
35	राबाउमावि पाटन	49993.00	31.8.19		

संलग्न:-मूल सर्वे रिपोर्ट ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा,सीकर

दिनांक:- 5/7/19

क्रमांक:जिशिअ/मु./माशि/सी/स्टोर/नीलामी/2019-20/195

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

- 1- लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोष कार्यालय ..... को भेजकर निवेदन है कि सम्बन्धित विधालय में अपना प्रतिनिधि भेजकर नीलामी कार्यवाही करावे ।
- 3-सहायक लेखाधिकारी-I/II कार्यालय हाजा
- 4-समिति के सदस्य श्री ..... को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर कार्यवाही करें
- 5-सम्बन्धित संस्था प्रधान
- 6-रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा,सीकर